

HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON WEDNESDAY, THE 6TH NOVEMBER, 2019 AT 10.00 A.M.

I. MOTION UNDER RULE 15

THE DEPUTY
CHIEF MINISTER

to move that the proceedings on the items of business fixed for today be exempted at this day's sitting from the provisions of the Rule 'Sittings of the Assembly', indefinitely.

II. MOTION UNDER RULE 16

THE DEPUTY
CHIEF MINISTER

to move that the Assembly at its rising this day shall stand adjourned sine-die.

III. LEGISLATIVE BUSINESS.

1. The Haryana Service of Engineers, Group A, Public Works (Buildings and Roads) Department (Amendment) Bill, 2019.

THE DEPUTY
CHIEF MINISTER

to introduce the Haryana Service of Engineers, Group A, Public Works (Buildings and Roads) Department (Amendment) Bill;

to move that the Haryana Service of Engineers, Group A, Public Works (Buildings and Roads) Department (Amendment) Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the Bill be passed.

2. The Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill, 2019

THE DEPUTY
CHIEF MINISTER

to introduce the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill;

to move that the Haryana Goods and Services Tax (Amendment) Bill be taken into consideration at once;

Also to move that the Bill be passed.

**CHANDIGARH:
THE 5TH NOVEMBER, 2019.**

**RAJENDER KUMAR NANDAL,
SECRETARY.**

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 6 नवम्बर, 2019 को 10.00 बजे प्रातः विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. नियम 15 के अधीन प्रस्ताव

उप-मुख्यमंत्री

प्रस्ताव करेंगे कि आज के लिए निश्चित की गई कार्य की मदों पर की कार्यवाही को आज की बैठक में अनिश्चित काल तक नियम "सभा की बैठकें" के उपबंधों से मुक्त किया जाए।

II. नियम 16 के अधीन प्रस्ताव

उप-मुख्यमंत्री

प्रस्ताव करेंगे कि सभा अपनी आज की बैठक से उठने पर अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित रहेगी।

III. विधान कार्य

1. हरियाणा अभियन्ता सेवा, गुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (संशोधन) विधेयक, 2019. उप-मुख्यमंत्री हरियाणा अभियन्ता सेवा, गुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करेंगे;
प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा अभियन्ता सेवा, गुप क, लोक निर्माण (भवन तथा सड़कें) विभाग (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;
यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।
2. हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019. उप-मुख्यमंत्री हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत करेंगे;
प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए;
यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

चण्डीगढ़:
5 नवम्बर, 2019.

राजेन्द्र कुमार नांदल,
सचिव।